संख्या-09/2026/001-28(1)/1907675/12-2099/58/2022 पार्ट-1

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0-1627-जी/4401-01/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 06 जनवरी 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज—0404-उ0प्र0 बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास की परियोजना के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 25075.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 10000.00 लाख की उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रू0 10000.00 लाख (रूपये सौ करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।

6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

7. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व आपके स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिक्ताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त व्-आय)ययक-अनुभाग (1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समयसमय पर -निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये सौ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-011 **लेखा** 4401001030401 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-/2025/06बी2025/231-2025-दस/352-1-, दिनांक मार्च 27, 2025में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-09/2026/001-28(2)/1907675/12-2099/58/2022 पार्ट-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ,

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0,

6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2, कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7 .गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A012-20252026-28 2026 1907675 12-2099 58 2022 Part-1

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीजों की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना के मानक मद -43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	4401001030404 (उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,50,75,00,000 रुपये दो अरब पचास करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	2,50,75,00,000 रुपये दो अरब पचास करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	-1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	- 100,0000000	- 150,750000	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	4401001030401 (खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	3,50,00,00,000 रुपये तीन अरब पचास करोड़ मात्र	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	100,0000000	- 450,0000000	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्यों के निर्धारण न होने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय लक्ष्यों में वृद्धि होने के कारण 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3- प्रेषित पुनर्विनियोग प्रस्ताव में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि रू0 62822.00 लाख में अग्रेत्तर प्राप्त बचत रू0 10000.00 लाख को शामिल करते हुए स्तम्भ-9 में दर्शाया गया है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-1-446 06 मार्च

संख्या: आर ई-< 2 > -2025-26 दिनांक- जनवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Ranjana
(डा0 रंजना दुबे)
अनु सचिव।

Digitally signed by
RAHUL KUMAR
Date: 06-03-2026
17:54:09
(राहुल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या: 28/ 2026/1907675/12-2099/58/2022 Part-1 दिनांक- जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (वी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Ranjana
(डा0 रंजना दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।